(वाद सं0–25/4/30/2021)

22.02.2022

परिवादी, प्रमिला कुमारी, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, के दलसिंह सराय के वार्ड नं0–14 स्थित घर के बगल में निजी जमीन को चीरकर नाली का गंदा पानी बहाने एवं कूड़ा–कचरा रखवाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दलसिंहसराय क्षेत्र के वार्ड नं0–13 में मंसूरचक एवं दलसिंहसराय को जोड़ने वाली PWD सड़क के किनारे बने नाला का पानी का निकास नहीं होने से नाला का पानी over flow होकर सड़क पर आ जाता था जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती थी। इस समस्या का समाधान हेतु नगर पंचायत द्वारा उक्त नाले को उड़ाही कराकर नाले का मलवा हटाया जा चुका है तथा सड़क के पानी को पंपिंग सेट लगाकर सड़क से हटाने का भी कार्य किया जाता रहा है। प्रतिवेदनानुसार इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु नाला का निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। प्रतिवेदनानुसार परिवादी द्वारा उनकी निजी जमीन को चीरकर नाला बनाये जाने की बात बेबुनियाद है। नगर पंचायत द्वारा उनकी किसी निजी जमीन पर नाला नहीं बनाया गया है और न ही उनके घर के पास कोई कचरा ही जमा है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी।

आज राज्य आयोग के समक्ष परिवादी का कथन है कि फिलहाल उसकी समस्या का समाधान हो चुका है।

अब, जबकि परिवादी के समस्या का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद समाधान किया जा चुका है तो परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले में राज्य आयोग के स्तर से अब अग्रेत्तर कार्रवाई का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक